जनपद-संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 15.05.2019**

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री आकाश तोमर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनॉक 15.05.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियो पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी।

गैंगेस्टर एक्ट मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 72 / 19 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता विवेक शुक्ला उर्फ लल्ला पुत्र वीरेन्द्र शुक्ला निवासी परमेश्वरपुर थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर हाल पता शाह क्लीनिक के सामने डीघा बाईपास खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

चोरी के विद्युत मोटर के साथ चोर गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा एक अदद चोरी के विद्युत मोटर मय पम्प के साथ अभियुक्त मोनू गौतम पुत्र जितेन्द्र कुमार निवासी देईसाड़ थाना लालगंज जनपद बस्ती को गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 158 / 19 धारा 41 / 411 भादवि पंजीकृत किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2545 ने विवाद को कराया शान्त – पीआरवी 2545 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 10328 से कालर ने दो पक्षों में मारपीट एवं विवाद होने के संबंध मे सूचना दी। इस सूचना पर पीआरवी कर्मियो द्वारा तत्काल 03 मिनट मे मौके पर पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर मारपीट मे घायल हुए व्यक्तियो को पीआरवी से अस्पताल पहुचाया गया तथा विवाद की सूचना थाना कोतवाली खलीलाबाद को दी गई। पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटना स्थल पर पहुचकर विवाद को शान्त कराया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ – मुख्य आरक्षी हरिद्वार सिंह, मुख्य आरक्षी कामेच्छा सिंह, हो0चा0 संजय चौधरी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 31 वाहनो से 5300 रु0 सम्मन शुल्क वसूल

आज दिनांक 15-05-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 31 वाहनो से 5300 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

शान्ति भंग मे (151/107/116 सीआरपीसी) 02 अभियुक्त गिरफ्तार –

1 - बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 15-05-2019 को जनपदीय पुलिस व एण्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 12 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 44 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के लड़कों से पूछताछ करने के पश्चात कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।